

## जीवन प्रमाण पत्र संबंधी प्रश्न

1.	मैं पेंशनर हूँ क्या मुझे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ?	नियमित मासिक पेंशन प्राप्त करने हेतु जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अतिआवश्यक है।
2.	जीवन प्रमाण पत्र कब प्रस्तुत करना है ?	वर्तमान पेंशन नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3	मैंने पेंशन रोके जाने के कारण अपना जीवन प्रमाण पत्र अच्युत किसी माह में प्रस्तुत किया है। क्या मुझे भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ?	“हॉ” जीवन प्रमाण पत्र माह नवम्बर में पुनः जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4	जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में नियमों में क्या व्यवस्था है ?	पेंशन नियम 1996 के अनुलग्नक IV व नियम 134 एवं पारिशिष्ट 6 के बिन्दु संख्या 10में जीवन प्रमाण पत्र संबंधित नियमों की व्यवस्था की गयी है।
5	जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप कहाँ से प्राप्त होगा।	1. पेंशन पोर्टल IFPMS से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। 2. पेंशन नियम 1996 के पारिशिष्ट 6 के अनुलग्नक IV में भी इसका प्रारूप उपलब्ध है।
6	‘जीवन प्रमाणपत्र आवश्यकता क्यों है?’	यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन का भुगतान सही पेंशनर/पारिवारिक लाभार्थी को ही मिल रहे हैं, इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
7.	‘मैं जीवन प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ’	पेंशन सेवा नियम 134 में उल्लेखित निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित करा कर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
8.	निर्दिष्ट अधिकारी कौनसे हैं?	<p>जीवन प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी : (1) किसी भी प्रकार का कोई भी पेंशनर, जो नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i.) आपराधिक प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कोड</li> <li>ii.) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त एक रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार,</li> <li>iii.) राजपत्रित अधिकारी</li> <li>iv.) एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस के उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो रेशेन</li> <li>v.) एक पोस्ट मास्टर, एक विभागीय उप—पोस्ट मास्टर या एक डाक निरीक्षक कार्यालय</li> <li>vi.) भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम श्रेणी अधिकारी या स्टेट बैंक का कोई अधिकारी भारत के या उप लेखाकार को एक एजेंट या लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या दूसरे में शामिल किसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1954 की अनुसूची में सम्मिलित बैंक शाखा कार्यालय पर सबएकउण्टेंट</li> <li>vii.) एक खंड विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार</li> <li>viii.) संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य या सरपंच ग्राम पंचायत,</li> <li>ix.) एक पेंशनभोगी अधिकारी जिसने सेवानिवृत्ति से पहले शक्तियों का प्रयोग किया था मजिस्ट्रेट।</li> <li>x.) आधार बायोमैट्रिक अधिग्रमण के परिणामस्वरूप सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन जारी जीवन प्रमाणपत्र भी विधिमान्य प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा।</li> </ul> <p>एक पेंशनर जो भारत में निवासी नहीं है, जिसके संबंध में उसका विधिवत अधिकृत एजेंट मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या राजनयिक द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है भारत के प्रतिनिधि को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है।</p>

9.	'मैं जीवन प्रमाणपत्र कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ?'	जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसे पेंशनर द्वारा निम्न माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ( <a href="http://www.pension.raj.nic.in">www.pension.raj.nic.in</a> )। 2. ई-मित्र के माध्यम से। 3. बायोमेट्रिक विधि के माध्यम से। 4. पोस्ट आफिस/बैंक के माध्यम से। 5. राजस्थान के विभिन्न पेंशन कोषालयों एवं निदेशालय एवं क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से।
10.	'यदि मैं जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करूँ तो क्या होगा?'	आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप नियमित मासिक पेंशन का भुगतान निलंबित या बंद हो सकते हैं।
11.	'क्या जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क है?'	कोषालयों व निदेशालय पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई शुल्क नहीं है। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल, ई-मित्र, पोस्ट आफिस/बैंक आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो ये सस्थान निर्धारित शुल्क ले सकते हैं।
12.	'मैं जीवन प्रमाणपत्र पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करूँ?'	जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हमेशा सुरक्षित और आधिकारिक चैनलों का उपयोग करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें और ऑनलाइन सबमिट करते समय ट्रांसमिशन के सुरक्षित साधनों का उपयोग करें।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 136 के उपनियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए [jeevanpramaan.gov.in](http://jeevanpramaan.gov.in) को इसके द्वारा शासकीय वेबसाइट के रूप में घोषित किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि जीवन प्रमाणपत्र के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं हेतु कठिनाई होने पर, इसके सटीक निर्देशों के लिए संबंधित जिला कोषालय, निदेशालय पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों में या सक्षम प्राधिकारी सम्पर्क / परामर्श कर अग्रिम कार्यवाही करें।